

संख्या 147 / 11(2) / 10-06 (प्रमाणित) / 2017/18

प्रेषक: एसओएसो लोजिग,
संयुक्त राज्य,
सत्तरासय्युड शासन।

प्रेषा में: प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

दिनांक: दिनांक 07 फरवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद भगोली के विभाग सभा क्षेत्र अर्थात् के अन्तर्गत विभिन्न 06 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

संयुक्त निष्पत्ति निष्पत्ति यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, सो0का0, लोक निर्माण विभाग, मोडी द्वारा संलग्न निगरानुसार उपलब्ध किये गये प्रथम चरण के आगमनों, जिनकी कुल लम्बाई 11.00 किमी 0.02 सेतु तथा लम्बाई ₹157.92 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत अधिविस्तृत धनराशि ₹157.92 लाख (बो एक करोड़ सत्तरावन लाख बसन्त हज़ार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, सालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख अर्थात् 06 कार्यों हेतु ₹0.60 लाख (र साठ हज़ार मात्र) की धनराशि आपके निवेदन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निर्मांकित सर्तों के अधीन सही स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) अथवा स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समस्त रूप से पूर्ण किया जायेगा तत्पश्चात् शासनादेश सं0-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2006 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवधानानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) आगमन में उचित/अव्यय दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दर शीट/अव्यय में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से की गई हो, स्वीकृति पर निगरानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर खर्च हो व्यय किया जाय जिसका की स्वीकृत नहीं है, स्वीकृत नहीं से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समावेशन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य मज़ार रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित तरी/विशेषों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v) आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य सत्तरासय्युड प्रोजेक्ट रूड्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय समय पर निर्मित संशोधन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट केन्द्रों के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य अभियन्ता, सत्तरासय्युड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.06.2006 द्वारा निर्मित आदेशों का कार्य करते समय या आगमन सहित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उपरानुसार स्वीकृत आगमन में एन0पी0सी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी सिफ्टिंग आदि मदों में सम्पन्न में सम्पन्न व्यय अनुमान सं0-22 लेखासीपिक 0004 सड़कों तथा सेतुओं पर भूजीगत परिवहन 04 जिला तथा अन्य सड़क आगमन/मद 0005 अन्य व्यय-05 सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 06-24 वृत्त निर्माण कार्य में विभागीय आय व्यय में प्रतिशतित तथा निवेदन पर स्वी मदी धनराशि से किया जायेगा।

R.T.O

Photocopy Attached

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गतिविधि एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण वार्षिक संक्षिप्त अभिलेख तैयार होना।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का ध्येय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य को सम्पन्न चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसके व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(1) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य में से कोई कार्य प्रकल्प/प्र.समीक्षा सहक योजना/समीक्षा स्वीकृत है अथवा प्रथम/प्र.समीक्षा सहक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 310-22-लेखाधीन-5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिवर्धन-04 जिला तथा अन्य सड़कों 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य रोडवेज 5302 तथा निर्माण कार्य-24 ग्राम निर्माण कार्य (5054-04-500-03-02 से अभ्यासा/राशि) के नामे खर्च जायेगा।

(3) यह आदेशादित्त अनुभाग-2 के लघुआयुक्त संपत्ति 721/XXVII(1)/2018 दिनांक 08 फरवरी, 2018 में प्राप्त सनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

प्रमुख,
(सहायक/लो.नि.वि.)
संयुक्त सचिव

संख्या: /11(2)/18-66(प्रमाणपत्र)/2017 तदतिनिष्ठ।
परिलिखित निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. मातृसंस्थाकार (लेखा प्रभाग), ओवरसै फोर्ट्स बिल्डिंग, मातृ संस्था देहात।
2. सचिव, मातृ प्रभाग/प्र.समीक्षा, सततारखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, मातृ संस्था।
4. मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, सी.सी. सततार।
5. सहायक मुख्य/परिचालन कोषाधिकारी, सततारखण्ड।
6. नि.स.स.स. राज्य संपत्ति कोष, सततारखण्ड, देहात।
7. जिला अनुभाग-2, सततारखण्ड शासन।
8. सहायक अभियंता, मातृ संस्था वृत्त लोक निर्माण विभाग, मातृ संस्था।
9. अधिकारी अभियंता, नि.स.स.स. लोक निर्माण विभाग, मातृ संस्था।

आज्ञा से,
(जीवन सिंह)
उप सचिव

सहायक
संयुक्त सचिव, एन. नि.स.स.स.स.
देहात, 18-02-2018

प्र.सं. 149 /2018/18-66/18 दि. 15-2-2018
प्रमाणित किया कि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रमाणित
22-02-2018

1. मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, सी.सी. सततार।
2. सहायक मुख्य/परिचालन कोषाधिकारी, सततारखण्ड।
3. नि.स.स.स. राज्य संपत्ति कोष, सततारखण्ड, देहात।
4. जिला अनुभाग-2, सततारखण्ड शासन।
5. सहायक अभियंता, मातृ संस्था वृत्त लोक निर्माण विभाग, मातृ संस्था।
6. अधिकारी अभियंता, नि.स.स.स. लोक निर्माण विभाग, मातृ संस्था।

Photocopy made
✍

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	कुल मिलीम रकम में अनुमानित की जायेगी घनशतक
1	जनपद बगौली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड नारायणनगढ़ के अन्तर्गत रैमोव से शिलकोटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	20.24	0.10
2	जनपद बगौली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड नारायणनगढ़ तक मोटर मार्ग एवं किमी० में 30 मी० स्पष्ट मोटर सेतु सहित निर्माण कार्य।	2.00+ 30 mtr.	28.64	0.10
3	जनपद बगौली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड नारायणनगढ़ के अन्तर्गत हरमनी करवाड़ा मोटर मार्ग के किमी० 1 से विष्णुगंत-डामोशगंत-एस०सी० बस्ती हरमनी-हरमनी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	27.44	0.10
4	जनपद बगौली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	27.44	0.10
5	जनपद बगौली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड नारायणनगढ़ के अन्तर्गत पेठाणी से मुदकोट रोड मार्ग पर पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	100 mtr.	13.00	0.10
6	जनपद बगौली के विधान सभा क्षेत्र-थराली के विकासखण्ड थराली में थराली-पनगढ़ मोटर मार्ग के किमी० 2.00 से ईश वैशखान में पञ्जरवा ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	41.75	0.10
कुल		11.00 +2 bridge	157.92	0.60

(कुल रु साठ हजार मात्र)

अधीक्षक अभियन्ता
राज्य पुनर्वास वि० वि०
बरेilly (पुनर्वस)

Photocopy Attached

(जीएन प्रिंट)
उप सचिव

446/41 भाग-7/10

1523/2/10

अधीक्षक अभियन्ता, राजपूताना वि० वि०, बरेilly (पुनर्वस)

अधीक्षक अभियन्ता, राजपूताना वि० वि०, बरेilly (पुनर्वस)

अधीक्षक अभियन्ता, राजपूताना वि० वि०, बरेilly (पुनर्वस)

संकेत संख्या ५६ - 20172018

Secretary, PWD (3030)

14711120180101A/2017

संकेत संख्या - S1802220113

महाराष्ट्र राज्य 08-Feb-2018

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

0054 - सार्वजनिक बांधकाम विभाग

04 - धातू आणि लोखंड

01 - सार्वजनिक बांधकाम

03 - खोदकाम

02 - धातू आणि लोखंड (5054 04 800 03 028 सार्वजनिक)

वैध

संकेत संख्या	वर्ग संख्या	संख्या व मूल्य	मूल्य
21 - सार्वजनिक बांधकाम	8381000	80000	8441000
	8381000	80000	8441000

Total Current Allocation To Head Of The Department In Above Schemes -

60000

Photocopy Attested
f

1
[Signature]
(प्रमुख अभियंता)
मुख्य अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम
महाराष्ट्र राज्य